NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

NCRES नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 166/NCRES/20 दिनांक 31.8.2020

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :— FSO के पद को अनावश्यक रूप से संवेदनशील पद घोषित करने सम्बन्धी रेलवे बोर्ड के आदेश RBE 67/2020 दिनांक 18.8.2020 पर रोक लगाया जाना/निरस्त किया जाना एवं रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.3.2016 के अनुसार FSO के पद को पूर्णकालिक माना जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि Food Safety and Standard Authourity of India (FSSAI) की सलाह पर Food Safety and Standard Act 2006 (FSS Act 2006) के नियमो को भारतीय रेल में लागू करने के लिये, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 2012/H-1/9/2/1 दिनांक 29.10.2012 **(संलग्न)** द्वारा दिशा—निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में FSO का 2 पद स्वीकृत किया गया, लेकिन बाद में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/H-3/9/4 दिनांक 24.3.2015 **(संलग्न)** के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में FSO का 3 पद स्वीकृत किया गया था।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.3.2016 **(संलग्न)** और खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के पैरा 2.1.3 **(संलग्न)** के अनुसार FSO के पद को पूर्णकालिक मानते हुये, FSO का चयन सीनियरिटी कम सूटिबिलिटी के आधार पर Health and Malaria Inspector के कैडर से करने का निर्णय लिया गया था, उसी के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में Health and Malaria Inspector के कैडर से प्रयागराज (इलाहाबाद), झांसी और आगरा मण्डल के लिये कुल 3 लोगो का चयन FSO के पद पर किया गया लेकिन खेद के साथ बताना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में FSO के पद को पूर्णकालिक न मानते हुये FSO से उनके अपने कार्य के साथ—साथ CHI कैडर का कार्य भी लिया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र सं0 2011/एच—1/9/2 दिनांक 27.6.2011 द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 जारी किया जिसके नियम 4 **(संलग्न)** के अनुसार FSO का कार्य स्टेशन एवं पैन्ट्री कारो में Food Sample लेकर जांच हेतु FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में भेजना और रेलवे स्टेशन के फूड स्टालो के प्रतिवर्ष होने वाले Online Registraition एवं Re-registration में मदद करना होता है।

यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि इनके कार्य में न ही कोई कान्ट्रैक्टर डीलिंग होती है एवं न ही ये नये स्टालो का Allotment करते है लेकिन खेद के साथ अवगत कराना है कि कान्ट्रैक्टर डीलिंग न होने के बावजूद नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के Dy CMD द्वारा FSO के पद को अनाधिकृत रूप से दिनांक 23.4.2015 **(संलग्न)** को संवेदनशील पद घोषित किया गया और जब NCRES ने 25/26 फरवरी 2020 की PNM बैठक में बताया कि FSO का पद Sensitive नही है तो PCMD ने रेलवे बोर्ड से सम्पर्क किया और रेलवे बोर्ड ने बिना NFIR से वार्ता किये अपने पत्र संख्या RBE 67/2020 दिनांक 18.8.2020 **(संलग्न)** द्वारा FSO के पद को Sensitive Post घोषित कर दिया जो पूर्ण रूप से गलत एवं अन्यायपूर्ण है।

यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में FSO का कोई कैडर नही है और FSO का पद हेडक्वाटर कन्ट्रोल होने के कारण, FSO के पद पर कार्यरत कर्मचारी का प्रत्येक 4 वर्ष में Inter Divisional स्थानान्तरण होगा जिसके कारण FSO के पद पर कार्यरत कर्मचारी व उनका परिवार हमेशा आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान रहेगा।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे को छोड़कर भारत सरकार के अन्य संस्थानो में FSO का पद GP-5400, PB-3 (6^{th} CPC), [L-10 (7^{th} CPC)] का है जबकि समान जिम्मेदारी निभा रहे रेलवे में FSO को GP-4600 (L-7) ही दिया जा रहा है जो कि कहीं से भी न्याय संगत नही है।

इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2014/H-1/9/4 दिनांक 24.3.2015 (संलग्न) के अनुसार Designated Officer (DO) का चयन FSO से ही किया जाना है और FSSAI के पत्र दिनांक 28.2.2017 **(संलग्न)** के अनुसार 4 अगस्त 2019 के पश्चात Designated Officer (DO) Full time अधिकारी रहेगा परन्तु खेद का विषय है कि FSSAI के पत्र दिनांक 28.2.2017 **(संलग्न)** के दिशा निर्देश का कियान्वयन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में अभी तक नही हुआ है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि –

(1) FSO के पद को Sensitive Post घोषित करने सम्बन्धी RBE No. 67/2020 रद्द कराया जाय।

(2) रेलवे के FSO को अन्य मंत्रालयो में पोस्ट FSO के बराबर वेतनमान दिलाया जाय।

(3) FSO को Designated Officer (DO) " ग्रुप 'बी' " में चयन का प्रमोशन चैनल दिलाया जाय।

(4) FSO का एक अलग कैडर बनाने का आदेश जारी कराया जाय।

(5) Health and Malaria Inspector/FSO कैडर को विकेन्द्रियकृत (Decentralise) करने और इनकी सीनियरिटी डिवीजन वाइज करने के लिये आदेश जारी कराया जाय।

(6) जिस प्रकार नार्दन रेलवे में FSO के पद पर कार्यरत कर्मचारी नई दिल्ली हेडक्वाटर पर रहकर विभिन्न मण्डलो का कार्य देखते है, उसी प्रकार NCR के FSO के पद पर कार्यरत कर्मचारी को NCR जोन के हेडक्वाटर या जोन के किसी मण्डल में रहकर कार्य देखने की अनुमति रेलवे बोर्ड से दिलाया जाय।

NCRES का अनुरोध है कि आप कृपया रेलवे बोर्ड से वार्ता कर FSO के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की समस्यायों का समाधान करने की कृपा करे।

धन्यवाद।

संलग्न :(1) रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 29.10.2012
(2) रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 24.3.2015
(3) रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 23.3.2016
(4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 का पैरा 2.1.3
(5) रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 27.6.2011 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 का नियम 4
(6) Dy CMD/NCR का पत्र दिनांक 23.4.2015
(7) RBE No. 67/2020 दिनांक 18.8.2020
(8) FSSAI का पत्र दिनांक 28.2.2017

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री